सख्यां–शिक्षा–एच (10)एफ(4)12/2009.एस.सी **अतिआवश्यक**
शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश ।
दिनांक शिमला–171001 जून , 2013

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश शिमला–1

1. पजीयक, हि0प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला– 5
2. प्राचार्य, समस्त राजकीय/मान्यता प्राप्त/निजी महाविद्यालय हि0प्र0 ।
3. प्राचार्य,समस्त संस्कृत महाविद्यालय हि0प्र0।
4. समस्त उप शिक्षा निदेशक (उच्चतर) हि0 प्र0।

विषय :– मैट्रिकोत्तर अनुसूचित जाति/जन जाति छात्रवृति योजना के तहत आय सीमा में हुई बढ़ौतरी की सूचना बारे ।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित उप सचिव, जनजातीय मन्त्रांलय, भारत सरकार के पत्र सख्यां 20014/5/2002–शिक्षा– दिनाकं 23–05–13 तथा उप सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रांलय, भारत सरकार के पत्र सख्यां 11017/01/2008–एस.सी.डी.5 दिनाकं 29–04–13 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मैट्रिकोत्तर अनुसूचित जाति/जन जाति छात्रवृति योजना के तहत आय सीमा में बढ़ौतरी की गई है। जिस के तहत प्रार्थी के माता पिता/अभिभावकों की आय सीमा को **शैक्षणिक सत्र 2013–14 से 2.00 लाख से बड़ा कर 2.50 लाख कर** दिया गया है।

अतः आप को निर्देश दिये जाते है कि शैक्षणिक सत्र 2013–14 से बड़ी हुई दरों के अनुसार सम्बन्धित छात्र/छात्राओं से आवेदन ले। भारत सरकार द्वारा सन्शोधित की गई दरों के बारे में सभी छात्र/छात्राओं को नोटिस बोर्ड तथा विज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया जायें ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र छात्र/छात्राओं को योजना से लाभान्वति किया जा सके।

इस बारे में उप शिक्षा निदेशकों को आदेश दिये जाते है कि वह अपने अधीनस्त सभी पाठशालाओं को बड़ाई गई आय सीमा बारे अवगत करवायें तथा अपने जिले में विज्ञापन के माध्यम से भी प्रचार करे। सभी प्रधानाचार्य इस सम्बन्धित सूचना को अपनी सस्थां/पाठशाला के सूचना पट्ट पर भी अकिंत करे। **इसे अति आवश्यक समझे ।**

शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश ।

पृष्ठाकनं सख्यां:समः दिनाकं : 18th जून 2013
प्रतिलिपियां:–
1. तकनीकि अधिकारी, शिक्षा निदेशालय हि0 प्र0 को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।
2. रक्षक नस्ति ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश ।